न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 08/2025

अपीलार्थी

अगराराम पुत्र राजाजी, जाति– कलबी, निवासी– मलावा, तह0 रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला–सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव, अपीलार्थी की ओर से।
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 13 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 23–5–2025 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 13–3–2026 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मातहत न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मलावा, पटवार धाण के खसरा संख्या 69 रकबा 0–01 बीघा अर्थात् 174.24 वर्गफीट एवं खसरा संख्या 418 रकबा 1–00 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा व दिवार तथा तारबंदी का निर्माण होना बताकर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी का खसरा संख्या 69 रकबा 0–01 बीघा एवं खसरा संख्या 418 की भूमि पर न तो कोई कब्जा है और न ही कोई अतिक्रमण किया है एवं न ही कोई निर्माण किया है बल्कि उस भूमि से अपीलार्थी का कतई संबंध नहीं है। अपीलार्थी द्वारा मातहत न्यायालय के समक्ष दिनांक 05–03–2025 को एक प्रार्थना पत्र/जवाब पेश कर यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी का उक्त भूमि से न तो कोई संबंध है एवं न ही कोई लेना देना है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण किया भी है तो उसके लिए अपीलार्थी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि खसरा संख्या 69 के लगते ही अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 390 एवं 402 भूमि स्थित है, जिस पर अपीलार्थी का कब्जा अधिपत्य हैं। खसरा संख्या 69 की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में रास्ते के रूप में अंकित है। रास्ते और अपीलार्थी की भूमि के बीच में दिवार निर्माण का कार्य आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व करवाया हुआ है। अपीलार्थी की अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 69 के लगती हुई होने से अपनी खातेदारी भूमि में दिवार निर्माण का कार्य काफी वर्षों से किया हुआ है जो राजस्व अधिकारियो की जानकारी में वर्षों से चला आ रहा है। खसरा संख्या 418 जो कि राजस्व रेकर्ड में किस्म नाली के रूप में दर्ज है जो अपीलार्थी के खातेदारी भूमि के बीच में नाला चल रहा हैं। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि की जुताई व फसल खड़ी होने

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

से वहां पर आवारा पशु नाले में होकर अपीलार्थी के खातेदारी भूमि में न आ सके इस कारण अपीलार्थी ने मात्र पशुओं द्वारा फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी की है। इसमें अपीलार्थी की मंशा खसरा संख्या 418 की भूमि को हडपने की नही है एवं न ही खसरा संख्या 418 की भूमि पर किसी भी प्रकार से अपीलार्थी ने अतिक्रमण किया है एवं न ही पानी के बहाव को रोका हैं। केवल मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर व जवाब प्रस्तुती के बावजूद भी बिना किसी आधार के मातहत न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है। मातहत न्यायालय के समक्ष भू अभिलेख निरीक्षक, दांतराई द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 23–5–2025 को पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट में पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार से जाँच नही की गई एवं न ही मौके पर जाकर नाप जोख किया है एवं न ही स्पष्ट नक्शा बनाकर भेजा है। खसरा संख्या 69 रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। वर्तमान में रास्ता अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के समीप लगता हुआ है एवं रास्ता आबादी के पास स्थित है। वहां पर रास्ता कहीं पर 32 फीट कहीं पर 29 फीट एवं कहीं पर 31 फीट मौके पर स्थापित है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 39 का न तो नाप किया गया एवं न ही रास्ते का राजस्व रेकर्ड अनुसार नाप किया गया, मात्र अपीलार्थी को राजनैतिक दबाव में आकर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में स्थित दिवार को गिराने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की गई है। मातहत न्यायालय ने भी मौका फर्द व अन्य दस्तावेजों की जाँच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। मातहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना बहस के ही पत्रावली में आदेश पारित किया है। मातहत न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इस रिपोर्ट में यह कही पर भी अंकित नहीं किया है कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 69 व 418 से लगती हुई है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 390 व 402 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 69 किस्म रास्ता दर्ज है जो मौके पर स्थित है। खसरा संख्या 69 व खसरा संख्या 390 व 402 के लोर पर अपीलार्थी द्वारा 25 वर्ष पूर्व दिवार निर्माण का कार्य करवाया हुआ है एवं मौके पर कब्जे काबिज है। अपीलार्थी ने रास्ते की भूमि पर कहीं पर भी अतिक्रमण किया हुआ नहीं है। खसरा संख्या 418 की भूमि राजस्व रेकर्ड में नाली दर्ज है एवं पास ही अपीलार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है एवं अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के बीच में से उक्त नाला चल रहा है। फसल की रक्षा हेतु मात्र तारबंदी अपीलार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि में की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर मातहत न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–5–2025 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, धाण द्वारा अपीलार्थी/अतिक्रमी अगराराम पुत्र राजाजी कलबी, निवासी– मलावा के विरुद्ध ग्राम मलावा, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 69 रकबा 0–01 बीघा किस्म रास्ता व खसरा संख्या 418 रकबा 1–00 बीघा किस्म नाली भूमि पर अतिक्रमण करके पक्की दिवार व बाड बनाकर अवैध कब्जा करने के संबंध में रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार अपीलाधीन प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी/अतिक्रमी ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों की पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाकर बाद जांच उक्त भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, धाण द्वारा

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संवत 2081 में अपीलार्थी अगराराम पुत्र राजाजी कलबी, निवासी– मलावा के विरुद्ध ग्राम मलावा, पटवार हल्का धाण के खसरा संख्या 69 रकबा 0–01 बीघा किस्म रास्ता व 418 रकबा 1–00 बीघा किस्म नाली भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार व बाड बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियचम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक, दांतराई से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। भू अभिलेख निरीक्षक, दांतराई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23–5–2025 में यह अंकित किया गया है कि ग्राम मलावा के खसरा संख्या 69 किस्म रास्ता में चार दिवारी बनाकर एवं खसरा संख्या 418 किस्म नाली में तारबन्दी कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी खारिज की जाती है। साथ ही, तहसीलदार, रेवदर को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने से पूर्व विवादित भूमि के पास स्थित अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की अपीलार्थी के आवेदन पर नियमानुसार पैमाईश/सीमाज्ञान करवाकर, यदि अपीलार्थी का कब्जा राजकीय बिलानाम भूमि में पाया जाता है तो अपीलार्थी को उक्त राजकीय बिलानाम भूमि से बेदखल किया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही